राजस्थान—सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

क्रमांकः—प01(अ)9(2)स्था / 21 / 398 दिनांक 22 / 06 / 2021

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड II) प्रतियोगी परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार अनुभाग—3 विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु. / अनु. —3 / 2020—NJRs दिनांक 15.05.2021 के द्वारा आवंटित अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड —II) के पद पर वित्त विभाग (नियम डिविजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 शिडयूल IV के तहत लेवल—5 में 14600 / —(अक्षरे चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित विभाग / कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद्द्वारा किया जाता है:—

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	संवर्ग	मेरिट नं.	कार्यालय का नाम
1	श्री प्रिन्स कुमार	श्री सत्यनारायण पाण्डे	06.04.1992	Gen	5316	जिला कलक्टर कार्यालय, राजसमन्द

कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर / टाईपिंग) संबंधि, आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / ओबीसी / एमबीसी / विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है । सभी दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित की सत्य प्रतियां (स्वयं द्वारा प्रमाणित) दस्तावेज आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें। ओबीसी एवं एमबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय—सीमा के अन्तर्गत जारी किया गया है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :—

कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर / टाईपिंग) संबंधि, आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / ओबीसी / एमबीसी / विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है । सभी दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित की सत्य प्रतियां (स्वयं द्वारा प्रमाणित) दस्तावेज आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें। ओबीसी एवं एमबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय—सीमा के अन्तर्गत जारी किया गया है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :—

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर कार्यभार ग्रहण अवधी में वृद्धि स्वीकृत करा कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से होगी।

Dept. of Information Technology & Communication, Rajsamand
आवक सं. 280
दिनांक 22.06.2021

5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी.ओबीसी.एसबीसी./जा.प्र.प/सामान्य अवि/2015/54159/दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606 –726 दिनांक 20.10.2015, एवं प011(204) आरएण्डपी,/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/ 68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 एवं एसबी सिविल रीट याचिका संख्या 3469 /2020 अंकित धायल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 26.02.2020 की पालना में अति पिछडा वर्ग (एमबीसी) के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सृजित छायापदों के विरूद्व की जाकर वर्णित दिशा निर्देशों के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिविजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ.12 (6)एफडी /रूल्स /05 दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15 (1)एफडी /रूल्स /2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 16 व परिशिष्ठ IV के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्व माननीय सवौच्च न्यायालय में की गई एस.एल. पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगी।

7. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्वि देय नहीं होगी।

8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

9. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड–II के पद की पे– मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।

10. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लिपिक ग्रेड–II प्रतियोगी परीक्षा 2018 में इस कार्यालय हेतु योग्यता सूचि के अनुसार उपरोक्त योग्यता कम में रहेगी ।

11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगे। परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्य मुक्त किये जाने का आदेश अन्नापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

12. अभ्यथियों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट स्वयं को प्रस्तुत करनी होगी। यदि अभ्यर्थी के विरूद्व कोई भी विपरित तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरित तथ्य पाया जाता है तो राज्य सरकार उनकी सेवाएँ समाप्त कर सकेगी।

13. अभ्यर्थीयो को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाए एवम संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजो में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवाएँ समाप्त कर सकेगी ।

14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथी उनके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है । अंकित की गई जन्म तिर्थी अपरिवर्तनीय होगी।

15. अभ्यर्थी को कार्य भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

16. परिविक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।

17. परिविक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि व राज्य बीमा की कटौती नही की जावेगी।

18. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नही होकर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

19. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.7 (1) कार्मिक /क–2 /95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी भी समय दो से अधिक संतान होने पर इन नियामो के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

20. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर के अधिसूचना क्रमाक क्रमांक एफ.6 (4)वित्त / नियम / 99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नही होगे एवम वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमाक एफ.6 (5)वित्त / नियम / 99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी ।

21. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर जारी निर्देशो / परिपत्रो के अन्तर्गत शासित होगी एवम समय–समय पर जारी किये गये निर्देश / परिपत्र लागू होगे ।

22. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उससे उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।

23. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई आधार पर हैं, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको कनिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम के अर्न्तगत स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।

24. परिविक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानो के अनुसार देय होंगे।

25. चयनित अभ्यर्थि को अपने से वरिष्ठ / कनिष्ठ के पूर्व एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नही पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से नाम मेरिट सूचि के अनुसार ही रहेगा।

M

जिला कलक्टर
राजसमन्द

क्रमांकः–प01(सी)2(1)स्था / 21 / 398 दिनांकः–22 / 06 / 2021

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ व आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–

1. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार(अनु.–3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(1)प्रसु / अनु–3 / 2020 दिनांक 08.04.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द / नाथद्वारा / भीम / देवगढ / रेलमगरा / आमेट / कुम्भलगढ।
5. उपनिदेशक (एसीपी), सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजसमन्द को भेजकर लेख है, कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. कोषाधिकारी राजसमंद / उपकोषाधिकारी .... ।
7. तहसीलदारराजसमन्द / नाथद्वारा / भीम / देवगढ / रेलमगरा / आमेट / कुम्भलगढ / खमनोर / गढबोर / कुंवारिया / देलवाडा ।
8. सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजसमन्द।
9. प्रभारी अधिकारी, लेखानुभाग कार्यालय हाजा।
10. निजी सहायक / कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय हाजा।
11. श्री.................................पुत्र / श्री..पता...को पालनार्थ।
12. व्यक्तिगत पत्रावली श्री .... ।
13. रक्षित पत्रावली।

M

जिला कलक्टर
राजसमन्द